

मुख्यमंत्री का महत्त्वपूर्ण नरिणय - न्यूनतम मज़दूरी में 26 रुपए प्रतदिनि की होगी बढोतरी चर्चा में क्यों?

28 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने का अहम नरिणय लेते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिये न्यूनतम मज़दूरी की दरों में 26 रुपए प्रतदिनि की बढोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बढि

- मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतदिनि या 7410 रुपए प्रतमाह, अरुद्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतदिनि या 7722 रुपए प्रतमाह मज़दूरी प्राप्त होगी।
- इसके अलावा, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतदिनि या 8034 रुपए प्रतमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतदिनि या 9334 रुपए प्रतमाह मज़दूरी प्राप्त होगी।
- मज़दूरों एवं कामगारों के आर्थिक हति को देखते हुए पुनरीक्षति दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी कयिा गया है।
- वदिति है कि श्रम वभिाग द्वारा न्यूनतम मज़दूरी अधनियिम, 1948 के तहत 56 नयिोजनों में न्यूनतम मज़दूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2021 से दसिंबर, 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी दरों में प्रतदिनि 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वतित वभिाग को भेजा गया था।
- उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मज़दूरी की दरों में पछिली वृद्धि 7 रुपए प्रतदिनि की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी।